नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

गीता भाट व अन्य

(2008 की सिविल अपील संख्या 2257)

31 मार्च 2008

[एस.बी. सिन्हा और वी.एस. सिरपुरकर, जेजे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 166-मोटर दुर्घटना मोटर दुर्घटना अधिनियम, 1988- धारा 166 मोटर दुर्घटना- मृत्यु- तीसरे पक्ष द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा- आरोपी वाहन का चालक के पास फर्जी चालक अनुज्ञप्ति- क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु बीमा कंपनी का दायित्व- अभिनिर्धारित- जहां तक तृतीय पक्ष के दावे का प्रश्न है, चालक द्वारा फर्जी चालक अनुज्ञप्ति धारित करने से बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति की प्रतिपूर्ति करने के दायित्व से मुक्त नहीं होगा- न्यायहित में बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का निर्देश इस स्वतंत्रता के साथ दिया गया कि वह उक्त क्षतिपूर्ति राशि बीमित एवं वाहन चालक से वसूल कर सकेगी।

एक व्यक्ति की मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थीगण- मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों ने दावा याचिका दायर की। बीमा कंपनी ने यह अभिवाक् लिया कि लिप्त वाहन के चालक के पास वैध अनुज्ञप्ति नहीं था और इसलिये कंपनी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमाकर्ता की दलीलों को खारिज करते हुए क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया इसलिये यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा -

1. ऐसे मामले में जहां बीमा के अनुबंध की शर्तों का बीमित द्वारा उल्लंघन किया गया है, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति की प्रतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जहां तक पेशेवर चालक की चालक अनुज्ञप्ति का संबंध है, वाहन मालिक युक्तियुक्त ध्यान रखने के बावजूद यह पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकता था कि अनुज्ञप्ति नकली थी या नहीं। वाहन मालिक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह परिवहन कार्यालय से चालक अनुज्ञप्ति की सत्यता की जांच करे। इसलिये यह माना जाता है कि वाहन चालक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति नकली थी [पैरा 8 और 13] [738-बी-सी; 742-सी-डी]

1.2 केवल इसलिये कि लिप्त वाहन के चालक की अनुज्ञप्ति नकली थी, बीमा कंपनी को तृतीय पक्षकार के दावों हेतु वाहन मालिक की प्रतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त नहीं किया जायेगा, जब क्षतिपूर्ति राशि का पंचाट न्यायाधिकरण द्वारा धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए जारी किया गया हो। [पैरा 13] [742-डी]

1.3 न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी, यदि अपीलार्थी को यह निर्देश इस स्वतंत्रता सहित दिया जाये कि वह पंचाट राशि का दावाकर्ताओं को भुगतान करे एवं उक्त भुगतान की गई राशि को वाहन स्वामी एवं चालक से विधिनुसार उचित कार्यवाही कर वसूल करे। [पैरा 15] [742-एफ]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह 2004(3) एस.सी.सी. 297- पर विश्वास किया गया।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धुत 2007(3) एस.सी.सी. 700; दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल व अन्य 2007(5) स्केल 269; श्रीमती यल्लवा व अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य 2007 (8) स्केल 77- से विभेद किया गया।

यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लेहरू व अन्य 2003 (3) एस.सी.सी. 338; ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बृजमोहन व अन्य 2007(7) स्केल 753; यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम देविंदर सिंह 2007(8) एस.सी.सी. 698; प्रेम कुमार व अन्य बनाम प्रहलाद देव व अन्य 2008(1) स्केल 531; ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पृथ्वी राज 2008(1) स्केल 727- संदर्भित किये गये।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2257/2008

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा प्रथम अपील संख्या 4413/2003 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 30.10.2003 के विरुद्ध।

बी.के.सतीजा एवं डॉ. सुशी बलवदा अपीलार्थी की ओर से।

के.एस.राणा प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस.बी.सिन्हा, जस्टिस

1. अनुमति दी गई

2. दिनांक 14.11.2000 को ईश्वरदत्त भट्ट एक तिपहिया वाहन में यात्रा कर रहे थे, जो एक ट्रक जिसके पंजीयन नंबर एच.आर. 38 9179 से दुर्घटना के शिकार हो गये। उक्त ट्रक अपीलार्थी के यहां बीमित था।

प्रत्यर्थीगण जो कि ईश्वरदत्त के उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधि हैं, द्वारा क्षतिपूर्ति याचिका प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी ने अपने लिखित कथनों में यह दलील दी कि ट्रक चालक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति नकली थी।

3. मोटर वाहन दुर्घटना के समक्ष कार्यवाहियों में अपीलार्थी ने मोटर वाहन दुर्घटना के संबंधित लिपिक की परीक्षा करने का निवेदन किया जो स्वीकार किया जाने पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अलवर के संबंधित लिपिक को सम्मन से तलब किया गया। जारी किये गये सम्मन परिवहन अधिकारी के कार्यालय में तामील किये गये किन्तु परिवहन प्राधिकारी ने किसी अधिकारी को मांगे गये दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत नहीं किया।

यद्यपि अपीलार्थी ने न्यायालय के अभिलेख पर इस आशय की साक्ष्य प्रस्तुत की कि उनके जांचकर्ता द्वारा की गई जांच से यह पाया गया है कि गोपाल सिंह वाहन चालक के नाम पर कोई अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। दिनांक 20.03.2003 की रिपोर्ट में जांचकर्ता ने कथन किया:

> "कृपया, ध्यान दें कि हमारे द्वारा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अलवर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ड्राईविंग अनुज्ञप्ति जिसका उल्लेख उपर किया गया है एवं जिसकी फोटोप्रति हमें प्राप्त हुई है, के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रार्थना की गई।

किन्तु हमारी राय को संबंधित अधिकारी द्वारा इसलिये वापस कर दिया गया क्योंकि उपर वर्णित अनुज्ञप्ति का परिवहन विभाग, अलवर के अभिलेख से कोई संबंध नहीं था।

यद्यपि अभिलेख का रजिस्टर जो हमें दिखाया गया है वह दिखाता है कि डी.एल. नंबर 20734/94 दिनांक 28.03.94 को जारी किया गया था।

इस प्रकार, यह पुष्टि नहीं होती है कि डी.एल. नंबर 3956/अलवर/94 दिनांक 27.03.94 परिवहन अधिकारी अलवर द्वारा जारी किया गया हो।

निष्कर्ष- उपर्युक्त वर्णित चालक अनुज्ञप्ति के लिये परिवहन अधिकारी अलवर से सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता।

यह रिपोर्ट बिना पूर्वाग्रह के जारी की गई।"

4. न्यायाधिकरण ने इस आधार पर कि उपरोक्त तथ्य साबित नहीं हुआ है, अभिनिर्धारित किया कि:

"बीमा कंपनी ने कई अवसर प्राप्त किये जाने के पश्चात् भी ऐसी साक्ष्य अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत नहीं की है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति नहीं हो। इसलिये बीमा कंपनी अपने भार को उन्मोचित करने में असफल रही है। तद्नुसार यह विवाद्यक बीमा कंपनी के विरुद्ध तय किया जाता है।"

अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील संक्षिप्तः खारिज कर दी गई।

5. श्री बी.के.सतीजा, जो कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता हैं, ने कथन किया कि चालक की अनुज्ञप्ति नकली पाई गई है, इसलिये उच्च न्यायालय द्वारा अपील को संक्षिप्तः खारिज करने में गंभीर त्रुटि कारित की गई है।

6. बीमा कंपनी का बीमित जो कि वाहन स्वामी हो, को प्रतिपूर्ति करने का दायित्व केवल संविदा की शर्तों पर नहीं, बल्कि मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, 1988 के प्रावधानों पर भी निर्भर करता है। वाहन स्वामी का यह वैधानिक दायित्व है कि वह तृतीय पक्ष के दावों का भुगतान करने हेतु बीमा प्राप्त करे। हमारे मस्तिष्क में इस बात का अंतर करना होगा कि क्षतिपूर्ति याचिका वाहन की क्षति हेतु वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत की गई है या वाहन के किसी यात्री द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो कि तीसरे पक्षकार द्वारा किये गये दावे से अलग है।

7. एक वाहन स्वामी इस बात के लिये बाध्य है कि वह युक्तियुक्त रूप से इस तथ्य की जांच करे कि जो व्यक्ति वाहन चलाने के लिये प्राधिकृत है उसके पास चालक अनुज्ञप्ति है या नहीं, ऐसी अनुज्ञप्ति न केवल प्रभावी बल्कि वैध भी होनी चाहिए। ऐसी अनुज्ञप्ति वाहन की श्रेणी के अनुसार जो कि मोटर वाहन अधिनियम/नियमों द्वारा निर्धारित की गई है, के अनुसार जारी होनी चाहिए।

8. निर्विवाद रूप से ऐसे मामले में जहां बीमा की संविदा का बीमित द्वारा उल्लंघन होना पाया गया हो, वहां बीमाकर्ता को बीमित की प्रतिपूर्ति करने हेतु दायी नहीं ठहराया जा सकता। जहां तक एक पेशेवर चालक की चालक अनुज्ञप्ति का संबंध है, वाहन का स्वामी युक्तियुक्त देखभाल के पश्चात् भी यह पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकता कि अनुज्ञप्ति नकली है या नहीं। वाहन स्वामी से परिवहन अधिकारी के कार्यालय से चालक अनुज्ञप्ति की सत्यता का पता लगाये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

9. वाहन के मालिक की ओर से तीसरे पक्ष के दावों का भुगतान करने हेतु बीमा पॉलिसी प्राप्त करने का विधिक दायित्व और एक नकली अनुज्ञप्ति धारित चालक द्वारा जो अपने मालिक द्वारा सद्भावी रूप से नियोजित किया गया हो, के संबंध में विचार करने के लिये यह प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष आया था। यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लेहरू व अन्य [(2003) 3 एस. सी. सी. 338]

10. लेहरू वाले मामले पर इस न्यायालय की तीन न्यायाधिपतियों की पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह [(2004) 3 एस. सी. सी. 297], वाले मामले में विस्तारपूर्वक विचार कर यह अभिनिर्धारित किया था कि:

> "92. यह सत्य है जैसा कि याचिकाकर्ता के द्वारा तर्क दिया गया है कि एक नकली अथवा कूटरचित अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्ति नहीं होने के बराबर है, परन्तु यहां प्रश्न यह है कि, जैसा कि पहले भी देखा गया है कि क्या बीमाकर्ता को यह आवश्यक रूप से साबित करना होगा कि बीमित बीमा पॉलिसी की संविदा की शर्तों का जान-बूझकर उल्लंघन करने का दोषी है। लेहरू वाले मामले में इस बात पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया था। हम पीठ के सामान्य दृष्टिकोण से सहमत हैं, लेकिन हम यह इंगित करना चाहते हैं कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियों को विधि की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए, जहां बीमाकर्ता को अपने दायित्वों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु बीमित के भाग पर संविदा की शर्तों का जान-बूझकर उल्लंघन साबित करना होगा न कि बचाव पक्ष अथवा वाहन स्वामियों को। हम मामले के इस पहलू पर थोड़ी देर बाद विस्तार से बात करेंगे।"

11. स्वर्ण सिंह वाले मामले का बाद में कई मामलों में इस न्यायालय द्वारा अनुसरण किया गया है, किन्तु नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मीनारायण धुत [(2007) 3 एससीसी 700] वाले मामले में इस मामले को निम्न आधारों पर विभेद किया गया है:

"9. बीमा कंपनी की मुख्य दलील यह है कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी। स्वर्ण सिंह वाले मामले में निम्न परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है:

(i) चालक के पास अनुज्ञप्ति थी लेकिन वह नकली थी।

(ii) चालक के पास अनुज्ञप्ति नहीं थी।

(iii) चालक के पास मूल रूप से वैध अनुज्ञप्ति थी, किन्तु दुर्घटना की दिनांक को उसकी वैधता अवधि समाप्त हो गई थी और उसे नवीनीकृत नहीं कराया गया था।

(iv) अनुज्ञप्ति बीमित वाहन के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के वाहनों को चलाने के लिये थी।

(v) अनुज्ञप्ति एक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति थी।

श्रेणी (i) दो प्रकार की स्थितियों को लागू हो सकती है। प्रथमतः अनुज्ञप्ति नकली थी एवं द्वितीयतः यह कि मूल रूप से अनुज्ञप्ति नकली थी, किन्तु बाद में कानून के अनुसार उसका नवीनीकरण किया गया हो।

37. जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, तीसरे पक्ष के अधिकार और स्वयं की क्षति वाले मामलों में सैद्धान्तिक अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रारम्भ में यह साबित करने का भार बीमाकर्ता पर है कि अनुज्ञप्ति नकली थी। एक बार जब यह स्थापित हो जाता है तो नैसर्गिक परिणामों की ओर देखना होगा।

38. उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए निम्न परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं:

1. स्वर्ण सिंह वाले मामले में पारित निर्णय तीसरे पक्ष के जोखिम के अलावा अन्य मामलों पर लागू नहीं होता है।

2. जहां मूल रूप से अनुज्ञप्ति नकली थी, वहां उसके नवीनीकरण से अनुज्ञप्ति मूलतः नकली होने के कारण प्रभावी नहीं होगी।

3. ऐसे मामलों में तीसरे पक्ष की क्षति के लिये बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति देनी होगी और यदि ऐसी सलाह दी जाती है तो वह बीमित से क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर सकेगा।

4. उद्देश्यपूर्ण निर्वचन के सिद्धांत अधिनियम की धारा 149 से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होंगे।

उच्च न्यायालय/आयोग अब उपर्युक्त वर्णित विधि के आलोक में मामले का नये सिरे से विचार करेंगे।"

12. उक्त सिद्धांत को दि ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम मीना वेरियाल व अन्य [2007 (5) स्केल 269] में दोहराया गया एवं यह कथन किया गया कि:

"अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि दुर्घटना के समय मृतक स्वयं वाहन चला रहा था एवं मृत्यु स्वयं मृतक की लापरवाही परिणामस्वरूप हुई थी इसलिये बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति राशि के लिये उत्तरदायी नहीं है। अगर दावाकर्ता की यह बात भी सत्य हो कि कार को महमूद हसन द्वारा चलाया जा रहा था, तब भी बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश दिये जाने से पहले दावाकर्ता को चालक की लापरवाही को स्थापित करना होगा। मीनू बी. मेहता व अन्य बनाम बालकृष्ण रामचन्द्र नयन व अन्य [(1977) 2 एस. सी. आर. 886], वाला निर्णय जो कि तीन न्यायाधिपतियों की पीठ द्वारा पारित किया गया, पर विश्वास किया गया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दावाकर्ता पर वाहन चालक की लापरवाही को साबित करने का दायित्व नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने गुजरात स्टेट रोड़ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद बनाम रमनभाई प्रभातभाई व अन्य [(1987) 3 एस. सी. सी. 234] वाले मामले पर अपने तर्कों के समर्थन में भरोसा किया है। उक्त मामले में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मीनू बी. मेहता वाले मामले (ऊपर वर्णित) में की गई टिप्पणियां इत्तरोक्तियों (ओबिटर डिक्टा) की प्रकृति की थीं। इस मामले में इस न्यायालय ने यह देखा कि कठोर दायित्व एवं घातक दुर्घटना अधिनियम की विधि में 1939 के अधिनियम

के भाग 7ए और धारा 92ए जो कि क्षतिपूर्ति के लिये प्रावधान करती है एवं इस उपबंध का भी विस्तार करती है कि कौन व्यक्ति दावा कर सकेगा और यह देखते हुए कि अधिनियम की धारा 110ए के तहत मृतक और उसके विधिक प्रतिनिधियों के लाभ के लिये आवेदन किया जा सकेगा, न्यायालय द्वारा विधि में किये गये फेरबदलों की ओर ध्यान दिया गया था। इस न्यायालय ने यह कथन नहीं किया था कि लापरवाही पर आधारित दावे में दावाकर्ता पर लापरवाही साबित करने का कोई दायित्व नहीं हो। यह न्यायालय घातक दुर्घटना अधिनियम और कठोर दायित्व के सिद्धांत में अधिनियम की धारा 1939 (संशोधित) की योजना में किये गये फेरबदल एवं बिना गलती के दायित्व के संबंध में विचार कर रहा था। इस न्यायालय के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि अधिनियम 1988 की धारा 163ए जो कि बिना लापरवाही के सबूत के क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान करती है एवं धारा 166 जो इसके विपरीत है, पर विचार करे। हम यह देखते हैं कि मीनू बी. मेहता वाला मामला तीन न्यायाधिपतियों द्वारा निर्णित किया गया एवं गुजरात स्टेट रोड़ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वाला मामला दो न्यायाधिपतियों द्वारा निर्णित किया गया। न्यायालय की इत्तरोक्तियां उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी हैं जबकि कोई प्रत्यक्ष निर्णय ऐसे प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा अन्यत्र पारित नहीं किया गया हो, लेकिन जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, ऐसी इत्तरोक्तियां यद्यपि बाध्यकारी नहीं हैं किन्तु उनका प्रेरक प्राधिकार है।"

ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम बृजमोहन व अन्य [(2007) 7 स्केल 753 एवं यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम देविन्दर सिंह [(2007) 8 एससीसी 698)। भी देखें

श्रीमती यल्लवा व अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड व अन्य में इस न्यायालय में कहा:

> "इस न्यायालय के हालिया निर्णय इस सिद्धांत पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं कि बीमा कम्पनी का ऐसे मामलों में उत्तरदायित्व नहीं है जहां किसी वाहन के यात्री तृतीय पक्षकार नहीं हैं।"

प्रेम कुमार व अन्य बनाम प्रहलाद देव व अन्य [2008 (1) स्केल 531] एवं ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम पृथ्वीराज [2008 (1) स्केल 727]]।

इस प्रकार ऐसे मामले में जहां तृतीय पक्षकार ने दावा किया हो, स्वर्ण सिंह वाला मामला लागू होगा किन्तु ऐसे मामले में नहीं जहां वाहन स्वामी और वाहन के अन्य यात्री ने दावा किया हो।

13. इसलिये हम यह मानते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 6 गोपाल सिंह के पास अनुज्ञप्ति नकली थी, किन्तु केवल इसलिये कि वह नकली थी, स्थापित विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए जैसा कि हमने पहले विचार कर देखा है, बीमाकर्ता को तृतीय पक्षकार के दावों हेतु वाहन मालिक की प्रतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त नहीं किया जायेगा, जब क्षतिपूर्ति राशि का पंचाट न्यायाधिकरण द्वारा धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए जारी किया गया हो।

14. प्रत्यर्थीगण की ओर से सम्यक् रूप से नोटिसों की तामील होने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

15. इसलिये हमारी राय है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी, यदि अपीलार्थी को यह निर्देश इस स्वतंत्रता सहित दिया जाये कि वह पंचाट राशि का प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 5 को भुगतान करे एवं उक्त भुगतान की गई राशि को वाहन स्वामी एवं चालक प्रत्यर्थीगण संख्या 6 व 7 से विधिनुसार उचित कार्यवाही कर वसूल करे।

16. उपर्युक्त वर्णित टिप्पणियों सहित यह अपील खारिज की जाती है। खर्चे संबंधी कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वीरेन्द्र प्रताप सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।